भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4001

सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक)

ईएसआई अस्पतालों का उन्नयन

4001. श्री: वाई.एस.अविनाश रेड्डी.:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ईएसआई अस्पतालों को बहु-विशेषज्ञता वाली सुविधाओं में उन्नत करने का विचार है ताकि निजी सूचीबद्ध अस्पतालों पर निर्भरता कम की जा सके और श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सेवा की सुलभता बढ़ाई जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार का देश में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार और विशेषकर आंध्र प्रदेश में ईएसआई अस्पताल भवनों से लगी अप्रयुक्त भूमि का उपयोग, अवसंरचना विकास के लिए किस प्रकार करने का विचार है;

(ग) सरकार द्वारा विशिष्ट देखरेख के लिए ईएसआई अस्पतालों में पर्याप्त योग्य कर्मचारी और अत्याधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार का ईएसआई अस्पताल सेवाओं और क्षमताओं का विस्तार करके सामान्य अस्पतालों पर बोझ को किस प्रकार कम करने का विचार है; और

(ङ) सरकार द्वारा ईएसआई कार्डधारकों के लिए चिकित्सा देखरेख की सुलभता की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): अपने लाभार्थियों को उच्च-गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने के लिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), ईएसआई अस्पतालों में आधुनिक तकनीकों को समाहित करके इन-हाउस स्पेशियलिटी और सुपर-स्पेशियलिटी सेवाओं को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। उठाए गए कुछेक कदमों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाना, उन्नत चिकित्सा उपकरणों की खरीद करना, ईएसआईसी के दिशानिर्देशों के अनुसार इंटेसिव केयर यूनिट(आईसीयू)/हाई डिपेंडेंसी यूनिट(एचडीयू)

जारी../-

सुविधाओं को स्थापित करना, नए अस्पतालों की स्थापना करना, आवश्यकताओं और माँगों के अनुसार अस्पताल के बुनियादी ढाँचे के उन्नयन और विस्तार के लिए अप्रयुक्त भूमि का उपयोग करना, पंजीकरण को सुव्यवस्थित करना, प्रतीक्षा समय को कम करने और रोगी की सुविधा को बढ़ाने के लिए ओपीडी अपॉइंटमेंट के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल ऐप का उन्नयन आदि शामिल हैं।

ईएसआई कार्ड धारकों के लिए चिकित्सा देखभाल तक पहुंच को सरल बनाने के लिए ईएसआईसी द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

i) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के साथ सहयोग करना ताकि देश में पीएमजेएवाई सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों में ईएसआई लाभार्थियों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना हैं, जहां ईएसआई चिकित्सा सेवाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

ii) स्थायी नि:शक्तता लाभ (पीडीबी)/आश्रित लाभ (डीबी) लाभार्थियों के लिए लाभ की दरों में वृद्धि की गई है।

iii) लाभार्थियों को चिकित्सा और नकद लाभ सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर बीमित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण को अपनाना है।

iv) बीमित व्यक्तियों (आईपी)/बीमित महिलाओं (आईडब्ल्यू) को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए, ईएसआई योजना के अंतर्गत नकद लाभ दावों को प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल/सुविधा शुरू की गई है।

ईएसआई अस्पतालों में चिकित्सकों और कर्मचारियों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है। ईएसआईसी ने हाल ही में विभिन्न ईएसआईसी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में तैनाती के लिए बीमा चिकित्सा अधिकारी (आईएमओ) ग्रेड II, विशेषज्ञ ग्रेड II (वरिष्ठ स्केल/कनिष्ठ स्केल) और शिक्षण संकाय के पद के लिए चयनित 1323 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया है। ईएसआईसी ने 2458 नर्सिंग अधिकारियों की भी भर्ती की है। इसके अलावा, ईएसआईसी ने नर्सिंग अधिकारियों के 832 रिक्त पदों, सहायक प्रोफेसर के 243 रिक्त पदों और डीन के 11 रिक्त पदों को भरने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए हैं। ईएसआईसी मेडिकल संस्थानों के सभी डीन/मेडिकल अधीक्षकों को आवश्यकतानुसार कमी, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए संविदा आधार पर विशेषज्ञ/शिक्षण संकाय और नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है।

*****